नये ईंट-भट्ठों की स्थापना के संबंध में

अति-आवश्यक सूचना

राज्य में नये ईंट-भट्ठों की स्थापना के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-140 दिनांक 22 फरवरी, 2022 के आलोक में बिहार राज्य की परिसीमा में नये ईंट-भट्ठों की स्थापना हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 / 25 / 26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 / 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य पर्षद् द्वारा अधिसूचना संख्या-11, दिनांक 23.03.2022 निर्गत किया गया है, तथा नये मानदंड निर्धारित किये गये हैं जिनका अनुपालन करना अनिवार्य है:-

1. ईंट-भट्ठें की स्थापना / निर्माण कार्य पूर्णतः स्वच्छतर तकनीक (जिग-जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट) पर आधारित एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा;
2. एक ईंट-भट्ठा से दूसरे ईंट-भट्ठा की न्यूनतम दूरी 01 किलोमीटर होगी;
3. ईंट-भट्ठा की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल की दूरी आबादी, सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय / हॉस्पीटल / नर्सिंग होम, न्यायालय, सरकारी कार्यालय एवं फलदार बगीचा (Orchard) से कम से कम 800 मीटर होगी;
4. रेल-लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य उच्च-पथ से ईंट-भट्ठा के प्रस्तावित स्थल की न्यूनतम दूरी 200 मीटर होनी चाहिए। 4-लेन अथवा इससे अधिक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से न्यूनतम दूरी 300 मीटर होगी;
5. प्रस्तावित स्थल से नदी / प्राकृतिक जल-स्रोत / डैम / वेट-लैण्ड की न्यूनतम दूरी 500 मीटर होगी;
6. केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा घोषित अतिदोहित (Over exploited) / गंभीर (Critical) / अर्ध-गंभीर (Semi-Critical) क्षेत्रों में नये ईंट-भट्ठे की स्थापना को वर्जित किया गया है;
7. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों के अनुरूप ईट-भट्ठा इकाई से उत्सर्जन की निगरानी हेतु चिमनी में पोर्ट-हॉल एवं प्लेटफार्म की स्थापना करना अनिवार्य होगा;
8. ईंट-भट्ठों के संचालन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा अनुमोदित ईंधनों यथा- कोयला, ईंधन-लकड़ी (Fuel Wood), कृषि अपशिष्ट एवं पाइप्ड प्राकृतिक गैस (Piped Natural Gas) का ही अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा;

9. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन्य-जीव अभ्यारण्य / राष्ट्रीय उद्यान / व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रों के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित इको-सेंन्सीटिव जोन (क्षेत्र) में ईंट-भट्ठा संचालन / गतिविधि पूर्णतः वर्जित है;

एतद् द्वारा बिहार राज्य की परिसीमा में नया ईंट-भट्ठा स्थापित करने को इच्छुक उद्यमियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने वाले प्रस्तावित स्थल के लिए ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के ऑनलाइन सहमति प्रबंधन एवं अनुश्रवण प्रणाली (OCMMS) के माध्यम से सःशुल्क स्थापनार्थ सहमति हेतु आवेदन समर्पित किया जाना चाहिए। उक्त मापदंड का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में राज्य पर्षद् में प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत करते हुए जमा किये गये सहमति शुल्क को वापस नहीं जायेगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी आवेदक की होगी।

26/4/22

सदस्य-सचिव

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र रोड, पटना- 800 010

दूरभाष नं०- 0612-2261250/2262265, **फैक्स-** 0612-2261050

ई-मेल-msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट- http://bspcb.bihar.gov.in